मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक :- 21/03/2025

क्रमांक- एफ 3-25/2018/12/1 :- विभागीय पत्र कमांक एफ 3-25/2018/12/1 भोपाल दिनांक 04.07.2018 से मेसर्स खजुराहों मिनरल्स प्रायवेट लिमिटेड को जिला एवं वनमण्डल टीकमगढ़ अंतर्गत वन परिक्षेत्र जतारा, वनखण्ड माचीगढ़ के वन कक्ष कमांक R.F. 262 के रकबा 19.000 हे. (माईनिंग रकबा 18.964 हे. तथा रकबा 0.036 हे. पहुँच मार्ग) क्षेत्र पर खनिज पायरोफिलाईट एवं डायस्पोर हेतु अवधि 30 वर्ष के लिये मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 18(2) में विहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित खनन योजान एवं आवश्यक पर्यावरण अनुमति 06 माह की अवधि में प्राप्त कर प्रस्तुत करने तथा प्रकरण में वन भूमि समाहित होने से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही कर वांछित अनुमति प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया।

2. यह कि आवेदक मेसर्स खजुराहों मिनरल्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 04.07.2018 के पालन में दिनांक 13.09.2024 से अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि,-

(1) आवेदक कंपनी द्वारा पर्यावरण अनुमति एवं वन अनुमति प्राप्ति में आ रहे विलंब के फलस्वरूप शासन द्वारा प्रदाय की गई समयावधि समाप्त हो जाने से प्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नियम 18(2) में विहित प्रावधानों के तहत नियमानुसार अतिरिक्त समयावधि प्रदान किये जाने हेतु कई बार (आवेदन दिनांक 25.07.2023 एवं दिनांक 29.09.2023) अनुरोध किया गया, किन्तु उपरोक्त अनुमति की प्राप्ति अपेक्षित रही।

(2) उक्त अनुमति में हुए विलंब का मुख्य कारण कोविड-19 महामारी से देश/प्रदेश में उद्भूत टोटल एवं आंशिक लाकडाऊन से उत्पन्न परिस्थितियाँ हैं, उक्त संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2022 अनुसार 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि हेतु शिथिलीकरण प्रदान किया गया है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियाँ एवं पर्यावरण/वन अनुमति का विषय आवेदक के नियंत्रण से परे है, जो कि एक तकनीकी प्रकिया होने से आवेदक का कोई वश नहीं रहता है।

(3) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में किये गये नवीन संशोधन के अंतर्गत नियम 18(2) के प्रावधान अनुसार अनुमोदित खनन योजना / पर्यावरण अनुमति प्रस्तुत किये जाने के लिये 12 माह की अवधि एवं वन भूमि होने की दशा में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन अनुमति प्रस्तुत किये जाने के लिये 24 माह की अवधि निर्धारित की गई है तथा विहित समयावधि में औपचारिकताओं की पूर्ति न हो पाने से सक्षम प्राधिकारी को समयावधि बढ़ाये जाने के अधिकार प्रदत्त किये गये हैं।

(4) एक अन्य प्रकरण में शासन के आदेश कमांक एफ 3-40/2018/12/1 दिनांक 07.03.2019 से श्री आशुतोष मिश्रा के पक्ष में जिला सतना के ग्राम करहीखुर्द के खसरा कमांक 1/1, 2, 3, 4 एवं 5 के रकबा 4.995 हे. क्षेत्र पर खनिज लेटेराईट एवं ओकर हेतु अवधि 30 वर्ष के लिये सशर्त उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी किया गया है, जिसकी शर्त कमांक - 7 एवं 8 में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:-

शर्त कमांक - 7 (पर्यावरण अनुमति) - खनन संकियाऐं किये जाने के पूर्व नियमानुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त की जाना होगी।

CamScanner

शर्त कमांक - 8 (जल/वायु सम्मति) - आवश्यकतानुसार खनन संकियाओं के पूर्व प्राप्त की जावेगी।

(5) उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत आवेदक द्वारा वांछित अनुमति प्राप्त किये जाने के अथक प्रयास किये जा रहे हैं, उपरोक्त अनुमतियों की प्राप्तियाँ एक तकनीकी प्रकिया है, जो कि प्रार्थी के नियंत्रण से परे है। नैसर्गिक न्याय के दृष्टिगत मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में किये गये नवीन संशोधन के अंतर्गत नियम 18(2) के प्रावधान अनुसार राज्य शासन द्वारा अन्य प्रकरण कमांक एफ 3-40/2018/12/1 में दिनांक 07.03.2019 से पारित स्वीकृति आदेश के अनुरूप ही प्रार्थी के पक्ष में सशर्त उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी किये का आग्रह किया गया।

3. प्रकरण में शासनादेश दिनांक 14.10.2024 को खनिज (परमाणु तथा हाईड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 20 में विहित प्रावधानों के तहत खनि रियायत (खनिपट्टा / उत्खनिपट्टा) के लेप्स / व्यपगत प्रस्ताव एवं प्रदेश में अनुसूची-पाँच के लंबित सुरक्षित प्रकरण (पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत एवं अनुबंधित) के निराकरण हेतु गठित समिति द्वारा प्रकरण का नियमों के प्रकाश में परीक्षण किये जाने के उपरांत निम्नानुसार अनुशंसा की गईः-

(1) प्रकरण में आवेदक द्वारा राज्य शासन द्वारा दिनांक 04.07.2018 से जारी सैद्धांतिक सहमति आदेश के पालन में खनन योजना दिनांक 12.11.2018 को अनुमोदित कराकर निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत कर दी गई है। लेकिन आवेदित क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 प्रभावशील होने से भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही किये जाने एवं पर्यावणीय अनुमति हेतु अतिरिक्त समय की माँग की गई है।

(2) आवेदक को प्रश्नाधीन क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन अनुमति एवं पर्यावरणीय अनुमति हेतु मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 18(2) अनुसार आवेदक को औपचारिकता पूर्ण करने हेतु समयावृद्धि आदेश से 24 माह का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है, जिससे औपचारिकता पूर्ण होकर खदान का संचालन कार्य पूर्ण हो सके।

अतः राज्य शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरांत आवेदक को प्रश्नाधीन क्षेत्र में वन संरक्षण अनिधिनियम, 1980 के तहत अनुमति एवं पर्यावरणीय अनुमति हेतु मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 18(2) अनुसार आवेदक को औपचारिकता पूर्ण करने हेतु समयावृद्धि आदेश दिनांक से 24 माह अर्थात् 02 वर्ष का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

21/3/2025

(शर्मिला ठाकुर)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

CamScanner

पृ.क. एफ 3-25/2018/12/1 भोपाल, दिनाँक :- 21/03/2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. संचालक (प्रशासन तथा खनिकर्म), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश।
4. सदस्य सचिव, (सिया), पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. वनमण्डलाधिकारी, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश।
6. प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा), जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश।
7. मेसर्स खजुराहो मिनरल्स प्रायवेट लिमिटेड, सागर रोड़, धादरी, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश।

की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8. गार्ड फाईल।

21/3/2025

अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

CamScanner